



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 997]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2014/वैशाख 15, 1936

No. 997]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2014/VAISAKHA 15, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2014

का.आ. 1205 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1174(अ) तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, -(i) क्रम संख्या 17 के सामने स्तंभ (3) में मद संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) श्री अंकुश अग्रवाल";

(ii) क्रम संख्या 18 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) श्री नीरूबेन के लाड

(2) श्री गिरीश बालूभाई पटेल

(3) श्री करुनल सी. पटेल";

(iii) क्रम संख्या 39 के सामने स्तंभ (3) में मद संख्या (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) श्री राजेश माहेश्वरी";

(iv) (क) क्रम संख्या 87 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"मैसर्स ग्रीन सर्कल, इनकारपोरेटिड, ग्रीन एम्पायर (अनुपुष्पम) अक्सिस बैंक के ऊपर, एनआर यश काम्पलैक्स, गोत्री रोड, बडोदरा-390021(गुजरात)";

(ख) स्तंभ (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) श्री जयेश पटेल

(2) श्रीमती प्रियंका पांडे

(3) सुश्री शीतल परमार";

(v) क्रम संख्या 91 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि (2) और प्रविष्टि (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(2) श्रीमती दीपा निलेश महाजन

(3) श्री विशाल विष्णु सालुंके";

(vi) क्रम संख्या 96 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

" मैसर्स सीवीआर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, डिगनिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, नया नंबर 2/9, पुराना नंबर 21, अब्दुल रज्जाक स्ट्रीट, सैदापेट, चैन्नई-600015 (तमिलनाडु)";

(vii) क्रम संख्या 110 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि (1) और प्रविष्टि (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) सुश्री वी. माहेश्वरी

(2) श्री आर. रामाचन्द्रन";

[फा.सं. क्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

डा. रशीद हसन, सलाहकार

पाद टिप्पणः- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितंबर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवंबर, 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009, का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितंबर, 2009, का.आ. 3122(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009, का.आ. 3123(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009, का.आ. 42(अ), तारीख 21 जनवरी, 2010, का.आ. 619(अ), तारीख 19 मार्च, 2010, का.आ. 1662(अ), तारीख 13 जुलाई, 2010, का.आ. 2390(अ), तारीख 30 सितंबर, 2010, का.आ. 2904(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2010, का.आ. 181(अ), तारीख 28 जनवरी, 2011, का.आ. 692(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2011, का.आ. 1537(अ), तारीख 6 जुलाई, 2011, का.आ. 1754(अ), तारीख 28 जुलाई, 2011, का.आ. 2609(अ), तारीख 22 नवंबर, 2011, का.आ. 264(अ), तारीख 13 फरवरी, 2011, का.आ. 1150(अ), तारीख 22 मई, 2012, का.आ. 2039(अ), तारीख 5 सितंबर, 2012, का.आ. 2802(अ), तारीख 27 नवंबर, 2012, का.आ. 2850(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2012, का.आ. 592(अ), तारीख 8 मार्च, 2013, का.आ. 945(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2013, का.आ. 2287(अ), तारीख 27 जुलाई, 2013, का.आ. 2288(अ), तारीख 27 जुलाई, 2013, का.आ. 3489(अ), तारीख 26 नवंबर, 2013, का.आ. 21(अ), तारीख 3 जनवरी, 2014 और का.आ. 561(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2014

S.O. 1205 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :—

2. In the Table to the said notification, - (i) against serial No. 17, in column (3), for item (3), the following item shall be substituted, namely:—

" (3) Mr. Ankush Aggarwal ” ;

(ii) against serial No.18, in column (3), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

- " (1) Mrs. Niruben K. Lad
 (2) Mr. Girish Balubhai Patel
 (3) Mr. Krunal C. Patel";
- (iii) against serial No. 39, in column (3), for item (2), thereto the following item shall be substituted, namely:—
 " (1) Shri Rajesh Maheshwari ” ;
- (iv) (a) against serial No.87, in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—
 " M/s Green Circle, Inc., Green Empire (Anupushpam), Above Axis Bank, Nr Yash Complex,
 Gotri Road, Vadodara - 390021 (Gujarat)";
- (b) in column (3), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-
 "(1) Mr. Jayesh Patel
 (2) Mrs. Priyanka Pandey
 (3) Miss Shital Parmar ” ;
- (v) against serial No.91, in column (3) , for items (2) and (3), the following items shall be substituted, namely:—
 “(2) Mrs. Dipa Nilesh Mahajan
 (3) Mr. Vishal Vishnu Salunke ”;
- (vi) against serial No.96, in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 " M/s CVR Labs Pvt. Ltd., Dignity Centre, 2nd Floor, New No. 2/9, Old No.21, Abdul
 Razack Street, Saidapet, Chennai - 600015 (Tamil Nadu) ”;
- (vii) against serial number 110, in column (3), for items (1) and (2) the following items shall be substituted, namely:—
 "(1) Ms. V. Maheswari
 (2) Mr. R. Ramachandran ”.

[F. No. Q-15018/7/2003-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, S.O.1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O.55(E), dated 9th January, 2008, S.O.428(E), dated the 4th March, 2008, S.O.865(E) dated the 11th April, 2008, S.O.1894(E) dated the 31st July,2008, S.O.2728(E) dated the 25 th November, 2008, S.O.1356(E) dated the 27th May, 2009, S.O.1802(E) dated the 22nd July, 2009, S.O.2399(E), dated the 18th September, 2009, S.O.3122(E), dated the 7th December, 2009, S.O.3123(E), dated the 7th December, 2009, S.O.No.142(E), dated the 21st January, 2010, S.O.619(E), 19th March, 2010, S.O.1662(E) dated the 13th July,2010, S.O.2390(E), dated the 30th September, 2010, S.O.2904(E), dated the 8th December, 2010, S.O.181(E), dated the 28th January, 2011, S.O. 692(E), dated the 5th April, 2011, S.O.1537(E), dated the 6th July,2011, S.O.1754(E), dated the 28th July,2011 S.O.2609 (E) dated the 22nd November, 2011, S.O.264 (E), dated the 13th February, 2012, S.O.1150(E), dated the 22nd May, 2012, S.O.2039(E), dated the 5th September, 2012, S.O. 2802(E) dated the 27th November, 2012, S.O. 2850(E), dated the 7th December, 2012, S.O. 592 (E), dated the 8th March, 2013, S.O.945(E), dated the 8th April, 2013,S.O.2287(E), dated the 27th July, 2013, S.O.2288(E), dated the 27th July, 2013, S.O.3489(E) dated the 26th November, 2013, S.O.21(E), dated 3rd January, 2014 and S.O.561(E), the 26th February, 2014